तदर्थ विद्या परिषद की दिनाँक 30 जून, 2004 को अपराह्न 3.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त

तदर्थ विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 30-06-2004 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्य उपस्थित रहे :-

(1)	प्रोफेसर डी.पी. सिंह, कुलपति	-	अध्यक्ष
(2)	प्रोफेसर अमर सिंह	-	सदस्य
(3)	प्रोफेसर चमन मेहरोत्रा	-	सदस्य
(4)	डॉ. टी.आर. केम	-	सदस्य
(5)	प्रोफेसर एस.पी. गुप्ता	-	सदस्य
(6)	प्रोफेसर एस.एस. वर्मा	-	सदस्य
(7)	डॉ. रुचि वाजपेयी	-	सदस्य
(8)	डॉ. डॉ. श्वेता यादव	-	सदस्य
(9)	डॉ. आर.के. बसलस, कुलसचिव	-	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति द्वारा उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया।

1. विद्या परिषद की दिनाँक 24 मार्च, 2004 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. विद्या परिषद अपने बैठक दिनाँक 24 मार्च, 2004 को लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

3. विद्या परिषद् ने कृषि विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के निमित्त परिनियम 5.17 के संशोधन पर विचार किया।

निश्चय किया कि परिनियम 5.17 के प्रस्तावित संशोधन (**परिशष्ट "क"**) को स्वीकार करते हुए उसे कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।

4. विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार उपाधियों के नामकरण के प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि **पर्यटन अध्ययन में स्नातक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में परास्नातक** कार्यक्रम का जो नामकरण इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है वह इग्नू के आधार पर किया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाए कि वह इन कार्यक्रमों के नामकरण, जो निम्नवत है, को अपनी सूची में सम्मिलित कर लें :

(i) पर्यटन अध्ययन में स्नातक Bachelor in Tourism Studies (BTS)

(ii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक Bachelor of Library and Information Science (BLIS)

(iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में परास्नातक Master of Library and Information Science (MLIS)

5. विद्या परिषद् ने बी.एड. विशेष शिक्षा कार्यक्रम जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनयम 1992 के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षार्थियों को विशेष प्रकार का शिक्षण-प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है, को प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया और प्रस्तावित अध्यादेश पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ रखने की संस्तुति की। यह भी निश्चय किया कि भारतीय पुनर्वास परिषद् से यह भी अनुरोध किया जाय कि बी.एड. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए लघु अवधि का ऐसा कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार करे जिससे वे विशिष्ट बालकों को शिक्षण-प्रशिक्षण देने के लिए अर्ह हो सकें।

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित पूरक बिन्दुओं पर विचार किया गया :-

पूरक बिन्दु संख्या 01

प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिशा निर्देश पर विचार।

विद्या परिषद् ने प्रोजेक्ट कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश पर विचार किया और दिशा निर्देश को अनुमोदित करते हुए कार्य परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने तथा निर्देशन एवं मूल्यांकन की दरों को वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए संस्तुत किया।

पूरक बिन्दु संख्या 02

सत्रीय कार्य को शैक्षणिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित करने पर विचार।

कार्य परिषद् ने सत्रीय कार्य को शैक्षणिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित करने पर विचार किया और इसे वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए संस्तुत किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

डॉ.(आर.के. बसलस)
कुलसचिव